


न
२२

अधिवक्तागण उपस्थित। वादी
अधिवक्तागण के द्वारा वादपत्र
नोटिफिकेशन किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता
के द्वारा काउन्टर क्लेम नोटिफिकेशन
किया। अधिवक्तागण को सुना गया
व पत्रावली का अवलोकन किया
गया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत
धारा 88, 188, 53 RTA व प्रतिवादी
का काउन्टर क्लेम नोटिफिकेशन करने
पर इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली निजी होकर
शुक्रवार से कम होकर गुरुवार तक
हो


उपसह अध्यक्ष (राजस्व)
श्री कटणपुर

रावा
Not Busy



काउन्टर क्लेम
नोटिफिकेशन


काउन्टर क्लेम
नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन
